

कमिशनर वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश

उपस्थिति :- श्री सुनील कुमार , कमिशनर , वाणिज्य कर, उ०प्र०
प्रार्थी :- श्री निर्मल सिंह सलूजा , 2- श्री एस०डी त्यागी , 3- श्री वीरेन्द्र पाल सिंह,
4- श्री प्रदीप त्यागी ।
प्रार्थना पत्र सं० :- 7 / 2008
प्रार्थी की ओर से :- श्री निर्मल सिंह सलूजा , स्वामी फर्म सर्वश्री दीप इण्टर प्राइजेज , एफ-88 ,
टी०पी०नगर , लखनऊ ।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अध्यादेश 2007 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

1- सर्वश्री श्री निर्मल सिंह सलूजा , 2- श्री एस०डी त्यागी , 3- श्री वीरेन्द्र पाल सिंह, 4- श्री प्रदीप त्यागी के द्वारा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अध्यादेश 2007 की धारा-59 के अन्तर्गत दिनांक 17-1-08 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया । प्रार्थना पत्र में निम्नलिखित प्रश्न निर्णय हेतु प्रस्तुत किया गया है :-

“ लोहे के तार से बनी हुयी जाली पर कर की दर क्या है ? ”

2- धारा-59 के प्रार्थना पत्र पर एडीशनल कमिशनर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, लखनऊ जोन लखनऊ से आख्या माँगी गई जो सुनवाई के समय तक प्राप्त नहीं हुयी है।

3- धारा-59 के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु नियत तिथि 12-2-08 पर श्री निर्मल सिंह सलूजा , स्वामी फर्म उपस्थित हुये । उनके द्वारा तर्क दिया गया कि लोहे के तार से बनी हुयी जाली घरेलू उपयोग में ही आती है और यह हार्डवेयर है अतः इस पर कर की दर 4 प्रतिशत होनी चाहिए ।

4- मैंने श्री निर्मल सिंह सलूजा, स्वामी फर्म सर्वश्री दीप इण्टर प्राइजेज , एफ-88 , टी०पी०नगर , लखनऊ के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया । उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अध्यादेश, 2007 के अन्तर्गत जारी विज्ञप्ति संख्या- केएनआई-2-67/X1-9(1)-08-यू०पी०-Ordi-37-2008-आर्डर -(2)-08 दिनांक 10-1-08 की अनुसूची 2 के भाग अ के क्रमांक 92 पर अंकित प्रविष्टि में हार्डवेयर पर 4 प्रतिशत की दर से कर देयता है । चूंकि लोहे के तार से बनी हुयी जाली हार्डवेयर के अन्तर्गत आती है अतः इस विज्ञप्ति के अन्तर्गत तदनुसार इस पर 4 प्रतिशत की दर से कर देय होगा ।

5- प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है

7- इस निर्णय की एक प्रति प्रार्थी को तथा एक प्रति सम्बन्धित कर-निर्धारक अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय ।

दिनांक :: 12, फरवरी ,2008

ह०/12-12-2008

(सुनील कुमार)

कमिशनर वाणिज्य कर ,
उत्तर प्रदेश , लखनऊ ।